भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 369

मंगलवार, 22 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

चमड़ा उत्पादों का निर्यात

369. डॉ. रानी श्रीकुमार:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा कार्यान्वयन हेतु घोषित खिलौने, चमड़ा और फुटवियर उत्पादों के लिए प्रस्तावित पीएलआई योजना की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) भारत के चमड़ा और चमड़ा उत्पादों के निर्यात में तमिलनाडु के वर्तमान योगदान का ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लक्ष्य वृद्धि क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित योजना से तमिलनाडु के पारंपरिक चमड़ा विनिर्माण समूहों को लाभ मिलेगा;

(घ) क्या सरकारी योजनाओं के अंतर्गत तमिलनाडु के चमड़ा निर्माताओं को सतत् उत्पादन प्रक्रियाओं को अपनाने में मदद करने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता की योजना बनाई जा रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चमड़ा और फुटवियर प्रोत्साहन योजना को अंतिम रूप देने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है और तमिलनाडु स्थित निर्माताओं के लिए अनुमानित बजटीय आवंटन क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): यह उल्लेख किया जाता है कि खिलौना, चमड़ा और फुटवियर उत्पादों के लिए कोई पीएलआई स्कीम नहीं है और इसलिए इस संबंध में कोई भी कार्रवाई न चल रही है/न लंबित है।

तथापि, वित्त वर्ष 2025-2026 के केंद्रीय बजट भाषण में, फुटवियर और चमड़े के क्षेत्र के लिए एक नई स्कीम की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य डिजाइन क्षमता, घटक विनिर्माण और चमड़े के फुटवियर और उत्पादों को सहायता प्रदान करने के अलावा, गैर-चमड़े की गुणवत्ता वाले फुटवियर के उत्पादन के लिए आवश्यक मशीनरी को सहायता प्रदान करने के माध्यम से भारत के फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।

इसी प्रकार, इस भाषण में खिलौना क्षेत्र के लिए एक नई स्कीम की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य भारत को क्लस्टर, कौशल और एक विनिर्माण

ईकोसिस्टम के विकास पर फोकस करके खिलौनों के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है जो उच्च गुणवत्ता, अद्वितीय, अभिनव और टिकाऊ खिलौने बनाएगा।

(ख) से (ङ): तमिलनाडु (टीएन) का वर्ष 2024-25 के दौरान भारत से चमड़े, चमड़े के उत्पादों और फुटवियर के कुल निर्यात में 35.17% का योगदान रहा, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-

उत्पाद	तमिलनाडु से निर्यात (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	भारत से निर्यात (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	तमिलनाडु का प्रतिशत हिस्सा
तैयार चमड़ा	217.44	445.32	48.83%
चमड़े का सामान	233.48	1319.6	17.69%
चमड़े के वस्त्र	98.05	353.82	27.71%
चमड़े के फुटवियर	915.37	2007.76	45.59%
चमड़ा फुटवियर के घटक	166.31	244.17	68.11%
सैडलरी और हार्नेस	5.48	205.39	2.67%
गैर चमड़ा फुटवियर	62.45	252.91	24.69%
कुल	**1698.59**	**4828.97**	**35.17%**

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

केंद्र सरकार ने 2021-26 की अवधि के लिए छह उप-स्कीमों, जो उत्पादन इकाइयों के आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार और तकनीकी उन्नयन या फुटवियर और चमड़े के क्षेत्र में नई इकाइयों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करती हैं, के माध्यम से 1700 करोड़ रुपए के परिव्यय से एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम 'भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम' (आईएफएलडीपी) को अनुमोदन प्रदान किया है। आईएफएलडीपी की उप-स्कीम चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास (आईडीएलएस) के तहत, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) इकाइयों को संयंत्र और मशीनरी की लागत के 40% और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में स्थापित अन्य इकाइयों के लिए संयंत्र और मशीनरी की लागत के 30% की वित्तीय सहायता; और अन्य क्षेत्रों की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) इकाइयों को संयंत्र और मशीनरी की लागत के 30% की और अन्य इकाइयों को संयंत्र और मशीनरी की लागत के 20% की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो 15 करोड़ रुपए की सीमा के अध्यधीन है। इसके अलावा, घरेलू रूप से निर्मित मशीनरी के लिए संयंत्र और मशीनरी लागत के 5% की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तमिलनाडु राज्य में अब तक 73 आवेदनों को भारत सरकार की 30.50 करोड़ रुपए की कुल सहायता से अनुमोदन प्रदान किया गया है।

आईएफएलडीपी की सतत प्रौद्योगिकी और पर्यावरण संवर्धन (एसटीईपी) उप-स्कीम के तहत, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए तकनीकों सहित निर्धारित प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों को पूरा करने के लिए सीईटीपी की स्थापना/विस्तार/उन्नयन के लिए चमड़ा

क्लस्टरों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस उप-स्कीम के तहत, 200 करोड़ रुपए की सीमा के अध्यधीन पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए कुल परियोजना लागत के 80% और अन्य क्षेत्रों के लिए कुल परियोजना लागत के 70% तक की सहायता प्रदान की जाती है। तमिलनाडु में अब तक, चर्म शोधन क्षेत्र में संचालित 7 सामान्य बहिस्राव शोधन संयंत्र (सीईटीपी) के परियोजना प्रस्तावों को संयंत्र उन्नयन के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसमें 202.64 करोड़ रुपए की संयुक्त कुल परियोजना लागत और भारत सरकार का अनुदान 141.84 करोड़ रुपए है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	**सीईटीपी**	**कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपए)**	**अनुमोदित जीओआई अनुदान (करोड़ रुपए)**
1	पर्टेक, पेरनामबुट, तमिलनाडु	9.75	6.82
2	थुथिपेट, अंबूर, तमिलनाडु	8.49	5.94
3	मलिगाइथोप, अंबूर, तमिलनाडु	5.30	3.71
4	रानीटेक, रानीपेट, तमिलनाडु	52.68	36.88
5	वैनिटेक, वनियाम्बाडी, तमिलनाडु	14.22	9.95
6	सिडको फेज-I, रानीपेट, तमिलनाडु	59.58	41.71
7	पल्लवरम, नागलकेनी, तमिलनाडु	52.62	36.83
	कुल	**202.64**	**141.84**
